न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 72/2020

1. एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कार्यालय सी—स्कीम, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी वीरेन्द्र सिंह।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रेम प्रकाश सैनी पुत्र छाजूराम माली जाति माली निवासी गणेशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान ।
2. पुजा देवी पत्नि श्री प्रेम प्रकाश सैनी जाति माली निवासी गणेशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान ।

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 28.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री प्रेम प्रकाश सैनी पुत्र छाजूराम माली जाति माली निवासी गणेशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान व अन्य को 24,50,425/—(रूपये चौबीस लाख पचास हजार चार सौ पच्चीस) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति जो कि ग्राम गणेशपुरा मे आबादी भूमि पट्टा संख्या 71 दिनांक 20.02.1998 का कुल क्षेत्रफल 4160 वर्गफीट जिसके पूर्व मे स्वंय की भूमि, पश्चिम मे स्वंय की भूमि, उत्तर मे स्वंय की भूमि, दक्षिण मे चार फीट गली छोडकर भगवान सहाय की भूमि है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो कि श्री प्रेम प्रकाश सैनी पुत्र छाजूराम माली के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा